

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज०)

पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 22/2025

बउनवान

राज्य सरकार जयें रमेश चंद मीणा, प्रवर्तन अधिकारी, (अटरू)

बनाम

श्री रवि नागर पुत्र रामलाल नागर निवासी अटरू



(प्रार्थी)

(अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत

उपस्थिति :- 1. परोकार रसद

(प्रार्थी)

निर्णय दिनांक 01.09.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20.02.2025 को घरेलू गैस सिलेण्डरों के बढ़ते व्यावसायिक दुरुपयोग की शिकायत के क्रम में प्रार्थी हमराह संतोष कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, गिराज रेस्टोरेन्ट अटरू पर पहुंचे। मौके पर श्री रवि नागर पुत्र रामलाल नागर निवासी अटरू उपस्थित मिले जिनके सामने जांच की गई। जांच में मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरुपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर पेट्रोलियम गैस (वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के भाग 3 के बिन्दु संख्या 3, 4, 5 व 7 का उल्लंघन पाये जाने पर 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मौके पर जब्त सरकार कर रूबरू मैसर्स हिल व्यू गैस एजेन्सी अटरू की सुपुर्दगी में दिया जाकर सुपुर्दगीनामा लिखा गया।

इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उपरोक्तानुसार जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात की कार्यवाही कर निस्तारण फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6(बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी के मकान में रेस्टोरेन्ट लगा हुआ है मकान के सिलेण्डर दुकान पर रखे थे उनको आधार बताकर प्रार्थी के खिलाफ कार्यवाही की गई है, जबकि प्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग रेस्टोरेन्ट पर नहीं करता कॉमर्शियल सिलेण्डर का उपयोग करता है। प्रार्थी ने मकान के गैस सिलेण्डर भरवाने हेतु दुकान पर रख रखे थे जिन्हे जब्त किया गया है भविष्य में प्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डरों को अपनी दुकान पर नहीं रखेगा ना ही उनका उपयोग करेगा। अगर भविष्य में घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग करता पाया जावे तो प्रार्थी जिम्मेदार रहेगा। अतः प्रार्थी के विरुद्ध जारी नोटिस ड्रॉप फरमाया जावे। दौराने कार्यवाही अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर एकपक्षीय बहस प्रार्थी की सुनी गई।

हमने बहस एकपक्षीय परोकार रसद की सुनी।



जिला कलक्टर
बारां (राज०)


दौराने बहस परोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन के अप्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (आपन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का उल्लंघन किया है। अतः जब्तशुदा 4 गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देश दिये जाते हैं कि जप्तशुदा HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर (1) 787406, HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर (2) 101796, HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर (3) 0288370, HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर (4) 823707, का उपयोग व्यावसायिक कार्य हेतु किया गया है, इसलिये अप्रार्थी/सुपुर्दगीदार से जप्तशुदा गैस सिलेण्डर की सिक्योरिटी राशि मय जुर्माना राशि प्रति गैस सिलेण्डर 2500/- रूपये यानि 4 गैस सिलेण्डर की कुल 10000/- रूपये लिये जाकर जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को वापस लौटाया जावे। यदि अप्रार्थी जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को उक्तानुसार राशि जमा करवा कर वापस नहीं लेता है तो अप्रार्थी से व्यवसायिक गैस की दर से घरेलू गैस सिलेण्डर की अन्तर राशि नियमानुसार प्राप्त करें एवं प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.6.07 द्वारा राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को संचालक रूबरू मैसर्स हिल व्यू गैस एजेन्सी अटरू को कीमत पर दिया जाकर उक्तानुसार प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.09.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।




(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर
बारां (राज०)